## प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)

### "कार्यालय ज्ञाप"

शासनादेश सं0 102/XXX(2)/18/30(13)/2017, दिनांकः 14 अप्रैल, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–04(3) तथा अधिनियम के परिशिष्ट–3 में उल्लिखित जिन कार्मिकों की तैनाती केवल जिला मुख्यालय/निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है तथा उनका स्थानान्तरण शासन स्तर अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से किया जाता है उनके लिए सभी विभागों में राज्य के जनपदों का सुगम–दुर्गम क्षेत्र निर्धारण निम्नानुसार कर दिया गया है।

**1–सुगम जनपदः–**

1–देहरादून
2–हरिद्वार
3–ऊधमसिंह नगर
4–नैनीताल
5–अल्मोड़ा
6–टिहरी

**2–दुर्गम जनपदः–**

1–पौड़ी
2–उत्तरकाशी
3–चमोली
4–रूद्रप्रयाग
5–चम्पावत
6–बागेश्वर
7–पिथौरागढ़

निदेशालय प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 9789–90/नि0प्रा0शि0/स्था0–08/2020–21 दिनांक 19 मार्च 2021 के अनुपालन में कमेटी के अध्यक्ष/सचिव उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद की आख्या एवं संस्तुतियों के क्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड़ लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, 2018), शासनादेश सं0 102/XXX(2)/18/ 30(13)/2017, दिनांकः 14 अप्रैल, 2018, धारा–04(3) तथा अधिनियम के परिशिष्ट–3 के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड में कार्मिकों के स्थानान्तरण वर्ष 2021 हेतु 'सुगम–दुर्गम क्षेत्र का निर्धारण निम्नवत् किया जाता हैः–

| क्र0 सं0 | जनपद | सुगम | दुर्गम |
|---|---|---|---|
| 1 | उत्तरकाशी | – | समस्त क्षेत्र |
| 2 | चमोली | – | समस्त क्षेत्र |
| 3 | रूद्रप्रयाग | – | समस्त क्षेत्र |
| 4 | टिहरी | नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर से 05 कि0मी0 के अन्तर्गत व नई टिहरी जिला मुख्यालय | समस्त क्षेत्र (नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर से 05 कि0मी0 के अन्तर्गत व नई टिहरी जिला मुख्यालय को छोड़कर) |
| 5 | हरिद्वार | समस्त क्षेत्र | – |
| 6 | पौड़ी गढ़वाल | नगर पालिका परिषद् कोटद्वार एवं भावर क्षेत्र | समस्त क्षेत्र (नगर पालिका परिषद् कोटद्वार एवं भावर को छोड़कर) |
| 7 | देहरादून | समस्त क्षेत्र (विकास खण्ड चकराता एवं कालसी को छोड़कर) | विकास खण्ड चकराता एवं कालसी |
| 8 | पिथौरागढ़ | – | समस्त क्षेत्र |
| 9 | बागेश्वर | – | समस्त क्षेत्र |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | चम्पावत | नगर पालिका परिषद् टनकपुर | समस्त क्षेत्र (नगर पालिका परिषद टनकपुर को छोड़कर) |
| 11 | अल्मोड़ा | जिला मुख्यालय | समस्त क्षेत्र (जिला मुख्यालय को छोड़कर) |
| 12 | नैनीताल | नगर पालिका नैनीताल / भीमताल<br>नगर पालिका, कालाढूँगी<br>विकास खण्ड हल्द्वानी,<br>विकास खण्ड रामनगर<br>विकास खण्ड कोटाबाग | समस्त क्षेत्र (नगर पालिका नैनीताल / भीमताल<br>नगर पालिका, कालाढूँगी<br>विकास खण्ड हल्द्वानी<br>विकास खण्ड रामनगर,<br>विकास खण्ड कोटाबाग को छोड़कर) |
| 13 | ऊधम सिंह नगर | समस्त क्षेत्र | — |

राज्य गठन की तिथि दिनांक 09 नवम्बर 2000 से पूर्व कार्मिकों द्वारा स्थान अल्मोड़ा एवं नैनीताल में की गयी सेवाओं को पर्वतीय क्षेत्र की सेवा मानते हुये दुर्गम क्षेत्रों की सेवायें माना जायेगा।

उपरोक्त के फलस्वरूप प्राविधिक शिक्षा विभाग में संचालित कार्यालय एवं समस्त राजकीय पालीटेक्निक संस्थान संलग्न–क सूची के अनुसार सुगम / दुर्गम स्थानों के रूप में चिन्हित किये जाते हैं। चिन्हींकरण को विभागीय वैवसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सुगम–दुर्गम के प्रकटीकरण की सूचना को सम्बन्धित समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

( हरि सिंह )
निदेशक।

**प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)**

पृ0सं0 9959-63 / नि0प्रा0शि0 / स्था0–08 / 2020–21 दिनांक 26 मार्च, 2021

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1)– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को अपर मुख्य सचिव, महोदया के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
(2)– सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की।
(3)– संयुक्त सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, देहरादून।
(4)– प्रधानाचार्य, राजकीय / महिला / ग्रामीण पालीटेक्निक संस्थान, उत्तराखण्ड को ई–मेल के माध्यम से इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार सूचना को सम्बन्धित सभी कार्मिकों को अपने स्तर से अगवत कराने का कष्ट करें।
(5)– प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल) के समस्त अधिकारियों / कार्मिकों को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।

( हरि सिंह )
निदेशक।